प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

मिसल न0– 28./2020

अनवान :–

1. बेगराज पुत्र जसुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
सायल

बनाम्

1. सुलतान पुत्र जसुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
2. भादर पुत्र जसुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
3. मनीराम पुत्र जसुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
4. कृष्ण कुमार पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
5. जयचन्द पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
6. रामचन्द्र पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
7. रामनिवास पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
8. रामसिह पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
9. श्रीचन्द उर्फ श्रीराम पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री विजयसिह कडवासरा अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : ~~[illegible]~~ 24/05/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रशासन गावं के संग अभियान कैम्प मलवानी में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 77/77 के प0न0 370/392(91) किला न0 2/0.2530 ,9/0.2530 ,12/0.2530 ,13/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530 ,प0न0 371/392(90) किला न0 15/1 की 0.0380हैक गै0मु रास्ता किला न0 15/2 की 0.2150हैक प0न0 372/392(89) किला न0 11/.2530 ,12/.2530 ,13/1/0.1130 ,19/0.2530 ,20/0.2530 , कुल 2.8960हैक बेगराज वादी के नाम दर्ज है।

रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 150/85 के प0न0 370/392 (91) किला न0 6/0.2530 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,14/0.2530 ,17/0.2530 ,प0न0 371/392 (90) किला न0 16/1 की 0.0680हैक, 16/2 की 0.215हैक ,24/0.2530 ,25/1 की 0.0380 गै0मु0 रास्ता किला न 25/2 की 0.2150हैक कुल 2.6430हैक गैरसायल संख्या 1 के कब्जा काश्त की भूमि है।

रोही मौजा चक 4 बारानी खाता संख्या 85/85 के प0न0 371/392(90) के किला न0 12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,प0न0 372/392(89) किला न0 4/0.2530 ,5/0.2020 ,6/0.2020 ,7/0.2530 ,13/2/0.1400 ,14/0.2530 ,15/0.2020 ,16/0.2020 ,17/0.2530 , 18/2/0.1400हैक कुल 3.3650हैक गैरसायल 2 भादर के कब्जा काश्त की भूमि है।

रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 95/96 के प0न0 376/386(31) किला न0 1/0.2530 ,10/0.2530 ,11/0.2530 ,6/2/0.127 ,3/4/50.759 ,7/2 की 0.126 ,प0न0 375/386(32) किला न0 3/2/0.088 ,5/1/0.113 ,6/0.228 ,ख15/.228 ,16/.228 , प0न0 377/386(30) किला न0 1 ,2/0.506 ,19/1/0.126 ,10/2/0.127 ,20/0.253 ,प0न0 370/392(91) किला न0. 15 ,16/0.506, 98/83 की 0.025हैक 91–013/0.75हैक गै0मु0रास्ता कुल 4.780हैक भूमि गेरसायल संख्या 3 मनीराम के कब्जा काश्त की भूमि है।

सायल एवं गैरसायलान के खेतों में आवागमन के लिये सुविधाजनक रास्ता प0न0 371/392(90) किला न0 24 के पूर्वी किनारे उत्तर से दक्षिण की तरफ गेरसायल संख्या 1 के खेत में से गेरसयाल नम्बर 2 का रास्ता है तथा प0न0 371/392(90) के किला न0 18 में दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम रास्ता गैरसायल संख्या 2 के खेत में से गैरसायल संख्या 3 के लिये है तथा प0न0 371/392 (90) किला न0. 19 में पूर्वी तरफ उत्र से दक्षिण रास्ता गैरसायल संख्या 3 के खेत में से गैरसायल संख्या 2 के लिये तथा रास्ता के बदले में जमीन गैरसायल मु0न0 90 के किला न0 14 ,17 में आधा आधा वि वा रास्ते के बदले में देगा सायल रास्ता के बदले में मु0न0 90 किला न0 18 ,19 में देगा।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सायल एव गैरसयाल एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने उक्तानुसार अपनी अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये सायल गैरसायलान ने आपस में रास्ता दिया हुआ है और रास्ते के बदले में भूमि ली हुई किन्तु राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नही है ना ही रास्ते के बदले में दी गई भूमि दर्ज है इसलिये सायल रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है एव रास्ते के बदले में दी गई भूमि गैरसायल के नाम दर्ज करवाना चाहता है ।

सायल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल एवं गैरसायल ने निवेदन किया की प्रार्थना पत्र दर्ज रास्ता अनुसार सायल एवं गैरसायलान ने आपसी सहमति से रास्ता दिया हुआ है जिसे स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जबाव भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर राजय हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ताा स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 देने को तेयार है किसी प्रकार का ऐतराज नही किया है अतः साायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने एवं रास्ते के बदले में भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

गैरसायलान के अधिवक्ता ने भी निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे की चिपते खातेदार काश्तकार है सायल अपनी खाातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है गैरसायल ने निवदेन किया की प्रश्नगत रास्ता सायल एवं गैरसायल को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उपयोग करते आ रहे है सायल एवं गैरसायल उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने के लिये सहमत है एवं रास्त में आई भूमि के बदले में भूमि देने के लिंये भी तैयार है सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकार फरमावे।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

सायल एवं गैरसायल एक ही परिवार के सदस्य है एवं खातेदार काश्तकार है जो अपने अपने कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि में जाने के लिये आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद ना हो

अतः साायल एवं गैरसायल 1 ता 9 की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 4 बारानी के प0न0 371/392(90) के किला न0 24 मे पूर्वी किनारे उत्तर दक्षिण में एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा इसी मुरब्बा नम्बर 90 के कला न0 14 ,17 के पूर्वी किनारे उत्तर दक्षिण एक एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा मु0न0 90 के ही किला न0 18 के दक्षिण किनारे पूर्व से पश्चिम एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा मुरब्बा नम्बर 90 के किला न0 19 के पूर्वी किनारे उत्तर दक्षिण एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा मुरब्बा नम्बर 91 के किला नम्बर 18 ,में एक गठठा व किला न0 19 में आधा गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है रास्ता की भूमि के बदले में गैरसायल संख्या 2 मु0न0 90 के किला न0 14 ,17 में आधा आध बिश्वा भूमि सायल व गैरसायल संख्या 1 को देगा तथा सायल मु0न0 90 के किला न0 18 ,में एक बिश्वा एव किला न0 15 में 1 आधा बिश्वा यानि 4 फुट भूमि देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्पकोर्ट......

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व/2020/1655 दिनांक 27.05.2022

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 29 सन 2020 निर्णय दिनांक

अनवान :–

अनवान :–

1 बेगराज पुत्र जसुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
सायल

बनाम्

1. सुलतान पुत्र जसुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
2. भादर पुत्र जसुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
3. मनीराम पुत्र जसुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
4. कृष्ण कुमार पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
5. जयचन्द पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
6. रामचन्द्र पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
7. रामनिवास पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
8. रामसिह पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
9. श्रीचन्द उर्फ श्रीराम पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मोजा चक 4 बारानी के प0न0 371/392(90) के किला न0 24 मे पूर्वी किनारे उत्तर दक्षिण में एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा इसी मुरब्बा नम्बर 90 के किला न0 14 ,17 के पूर्वी किनारे उत्तर दक्षिण एक एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा मु0न0 90 के ही किला न0 18 के दक्षिण किनारे पूर्व से पश्चिम एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा मुरब्बा नम्बर 90 के किला न0 19 के पूर्वी किनारे उत्तर दक्षिण एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा मुरब्बा नम्बर 91 के किला नम्बर 18 ,में एक गठठा व किला न0 19 में आधा गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है रास्ता की भूमि के बदले में गैरसायल संख्या 2 मु0न0 90 के किला न0 14 ,17 में आधा आध बिश्वा भूमि सायल व गैरसायल संख्या 1 को देगा तथा सायल मु0न0 90 के किला न0 18 ,में एक बिश्वा एव किला न0 15 में 1 आधा बिश्वा यानि 4 फुट भूमि देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्पकोर्ट......
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner